न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 15/22 वाद — GCMS NO : 2022/00052

पूर्व प्रकरण संख्या : 115/2016

शंकरलाल डांगी पिता श्री लालूराम डांगी, निवासी–मनवाखेड़ा, तहसील गिर्वा, उदयपुर

.....वादी

बनाम

1. लालूराम डांगी पिता श्री वेणाजी डांगी, निवासी– मनवाखेड़ा, चारभुजा मंदिर के पास, उदयपुर
2. प्रेमचन्द डांगी पिता श्री वेणाजी डांगी, निवासी– मनवाखेड़ा, चारभुजा मंदिर के पास, उदयपुर
3. बेनीबाई पत्नि रामलाल डांगी पुत्री लालूराम डांग॰, निवासी – कलड़वास, देवाली मगरी, तहसील गिर्वा, उदयपुर
4. धापूबाई पत्नि स्व. नाथू जी पुत्री वेणाजी डांगी, निवासी – लकड़वा सेजा की भागल, तहसील गिर्वा, उदयपुर
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, गिर्वा, उदयपुर

.....प्रतिवादीगण

<u>**वाद अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**</u>

उपस्थितः– श्री आलोक जैन अधिवक्ता वादी
श्री मनोहर सिंह टांक अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक :

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम मनवाखेड़ा पटवार क्षेत्र कलड़वास की साबिक आराजी संख्या 772, 773 व 774 हाल आराजी संख्या 1750 मीन रकबा 0.2250 हैक्टयर जिसमें प्रार्थी के पिता का 1/3 हिस्सा है। वादग्रस्त आराजीयात के मूल पुरूष खेमा [illegible] तेदारी की थी। खेमा के मरने के बाद विरासत से खेमा के तीन पु[illegible] के नाम दर्ज हुई। उक्त भूमि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के दादा वेणा जी का 1/3 हिस्सा विरासत से दर्ज हुआ जिससे प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 का उक्त भूमि में 1/12, 1/12 हिस्सा निहित हुआ। विपक्षी संख्या 1 परिवार में बड़ा होने क कारण वादग्रस्त आराजीयात अकेले के नाम दर्ज हुई जबकि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 3 तक चारों के नाम दर्ज होनी चाहिए थी। इसलिए प्रार्थी अपने 1/12 वे हिस्से को खाते दर्ज कराने का अधिकारी है। वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी का जन्म से ही पुष्तैनी भूमि होने से प्रार्थी का अधिकार है, परन्तु राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के पिता का नाम ही दर्ज चला आ रहा है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि को दिनांक 04.12.2015 को विपक्षी संख्या 4 के नाम दान पत्र लिख दिया गया जिससे विपक्षी संख्या 4 भूमि को अन्य लोगों को विक्रय करने पर आमदा है तथा विपक्षी संख्या 1 प्रार्थी को बेदखल करने पर आमदा है। अतः निवेदन है कि विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षीगण द्वारा पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेष नहीं करने से विपक्षीगण के जवाब अवसर बंद किए गए।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया एवम् अप्रार्थी द्वारा बताया कि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी होने से विपक्षी को अपुर्णीय क्षति होगी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में अधिवक्ता प्रार्थी ने जमाबन्दी सम्वत् 2070–2073 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं का विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः** – उक्त बिन्दु को साबित करने का भार प्रार्थी का है। प्रार्थी के अनुसार प्रार्थी उक्त विवादित आराजियात के 1/12 हिस्से की घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है, किन्तु वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 4 एवं अन्य सहखातेदारों के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। विपक्षीगण संख्या 4 वादग्रस्त आराजी की सहखातेदार है तथा उसके हिस्से की भूमि को विक्रय करने से अथवा उसके उपभोग से वंचित नहीं किया जा सकता। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के तहत घोषणा न्यायालय द्वारा की जाता है। जिसमें न्यायालय द्वारा दोनो पक्षो को विधिवत सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए साक्ष्य,गवाह,बयान के आधार पर निर्णय किया जाता है। वर्तमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:20 IST
Reason: SelfAttested

में प्रतिवादी वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार है। प्रार्थी को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का अधिकारी नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनने के कारण प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में नहीं बनता है।

2. **अपूरणीय क्षतिः**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होना साबित करना होता है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि विपक्षी वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार है विपक्षीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने से वह अपने हक अधिकारों से वंचित रह जाता है। जिससे उनको अपूरणीय क्षति होती है। अतः यह विपक्षी के पक्ष में होने के कारण विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

3. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थी के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होकर विपक्षीगण खातेदार होने से विपक्षीगण के पक्ष में साबित होते है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ठोस आधारों पर साबित नहीं होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का साबित नहीं होने से खारिज किया जाता। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।िपत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.10.21 10:38:20 IST
Reason: SelfAttested